सत पाल पुरी

बनाम

पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या 2235/2008)

21 फरवरी, 2008

(एस. बी. सिन्हा एवं वी. एस. सिरपुरकर, जे.जे.)

श्रम विधियां: औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947; धारा 33 सी (2)/विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948; एसएस 12 & 79 (सी) और पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र 5 अप्रैल 1972 और 27 अक्टूबर, 1986 पारिश्रमिक में समानता- तकनीकी सेवा ग्रेड-III से संबंधित और क्षेत्र कर्तव्यों का पालन करने वाले कर्मचारी- नगरपालिका कर्मचारी संघ बनाम पंजाब राज्य में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में शनिवार और रविवार को काम करने के लिए पारिश्रमिक में समानता का दावा- अभिनिर्धारितः बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र 5 अप्रैल, 1972, तकनीकी क्षेत्र के कर्मचारी कुछ छुट्टियों के हकदार थे, जैसा कि उसमें दर्शाया गया था। बोर्ड द्वारा जारी एक अन्य परिपत्र में घोषणा की गई है कि बोर्ड का कार्यालय शनिवार और रविवार को बंद रहेगा- लेकिन उक्त परिपत्र प्रश्नगत कर्मचारियों पर लागू नहीं है। प्रश्नगत नगरपालिका कर्मचारी संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में- कर्मचारियों को शनिवार और

रविवार को काम करने के लिए अतिरिक्त वेतन देने और 1947 के अधिनियम की धारा 33 (सी) के तहत आदेवन दायर करने का आदेश दिया गया था, बशर्ते कि वे इसके द्वारा शासित न हो। किसी भी वैधानिक नियमों द्वारा शासित नहीं- लेकिन कर्मचारी प्रश्नगत अधिनियम की धारा 79 (सी) के तहत बनाए गए विनियमों द्वारा शासित होते हैं- इसलिए, वे उक्त निर्णय के संदर्भ में लाभ का दावा करने के लिए धारा 33-सी के तहत आवेदन दायर नहीं कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय के संदर्भ में न्यायालय- पूर्ववर्ती प्रयोज्यता का नियम।

अपीलार्थी-कर्मचारियों ने समानता का दावा करते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने समक्ष एक रिट याचिका दायर की नगर निगम कर्मचारी संघ (पंजीकृत) सरहिंद व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में शनिवार व रविवार को काम करने के लिए पारिश्रमिक के संबंध में यह राय दी गई थी कि नगरपालिका उप-नियमों में इसके विपरीत किसी स्पष्ट प्रावधान के अभाव में चुंगी कर्मचारियों को गैर-कार्यशील शनिवारों के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है, एेसे दावे के लिए तथ्यात्मक आधार स्थापित करने की आवश्यकता थी; और उस स्थिति में यदि कर्मचारियों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33सी (2) के तहत आवेदन दायर किया था, तो उस पर विचार किया जा सकता है।

न्यायालय ने अपीलों का निपटारा करते हुए, अभिनिर्धारित किया-

1.1 पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 05.04.1972 से, एसा प्रतीत होता है कि तकनीकी क्षेत्र के कर्मचारी एक कैलेंडर वर्ष में निर्धारित छुट्टियों के हकदार होंगे। (पैरा-8) [219-एफ]

1.2 पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 27.10.1986 जिसमें घोषणा की गई है कि विद्युत बोर्ड के सभी कार्यालय शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे। यह स्पष्ट रूप से दिखाएगा कि यह केवल विद्युत बोर्ड के कार्यालय में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के संबंध में लागू होगा, क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों पर नहीं। परिपत्र दिनांक 5.4.1972 को परिपत्र दिनांक 27.10.1986 द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बोर्ड के तकनीकी कर्मचारी विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 की धारा 79 (सी) के तहत बनाए गए विनियमों द्वारा शासित होते हैं। अपीलकर्ताओं के पास कोई मौजूदा कानूनी अधिकार नहीं है जिससे वे याचिका दायर करने में सक्षम हो सकें। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33 सी (2) के तहत आवेदन। (पैरा 10 और 11) [220-सी, डी, ई]

1.3 यहां तक कि नगरपालिका कर्मचारी संघ के मामले में भी, इस न्यायालय की राय थी कि चुंगी कर्मचारी गैर-कामकाजी शनिवारों के उक्त लाभ के हकदार हो सकते हैं, वे इसके बदले में अतिरिक्त वेतन के हकदार थे, यदि वे कोई भी नियम द्वारा शासित नहीं होते हैं। इस मामले में, अपीलकर्ताओं को शासित किया जा रहा है।

वैधानिक नियमों के अनुसार, वे 1947 के अधिनियम की धारा 33 सी (2) के तहत आवेदन दायर करने के हकदार नहीं होंगे। इसलिए, उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय और आदेश किसी भी कानूनी कमजोरी से ग्रस्त नहीं है। (पैरा 12 और 13) [220-एफ, जी, एच; 221-ए]

नगरपालिका कर्मचारी संघ (पंजीकृत) और अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य (2000) 9 एस.सी.सी. 432-निर्दिष्ट।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 2235/2008

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय(चंडीगढ़) द्वारा आर.ए. नं. 64/2003 सिविल रिट पिटीशन संख्या 19838/2002 में पारित अंतिम निर्णय/आदेश दिनांक 11.03.2003 के साथ

सिविल अपील संख्या 6097/03, 6602/03, 6599/03, 6938/03, 7980/03, 7981/03, 6106/03, 6601/03, 6597/03, 6939/03, 6594/03, 7982, 1929, 2355, 2352, 1840, 1928, 1926, 1918, 1924, 1925, 1836, 4428, 4435, 4436, 4437, 6595, 4439, 4440, 4443, 6102, 6594/2003, 2172/2008, 2171/2008, 2170/2008, 2169/2008, 2168/2008, 2167/2008, 2166/2008, 2164/2008, 2165/2008, 2236/2008, 2237/2008, 2233-34, 2238, 2242/2008.

ए. के. गांगुली, के. जी. भगत, मनोहर सिंह बक्शी, लखबीर सिंह बक्शी, देबाशीष मिश्रा, अजय मजीठिया, राजेश कुमार, रवींद्र केशवराव अदसुरे, डॉ. कैलाश चंद, सुधीर नंदराजोग, बिमल रॉय जाड, एस. के. सभरवाल, हरिंदर मोहन सिंह, कौशल यादव, दुर्गेश यादव, कुलदीप सिंह, आर. के. पांडे मधुकर चौधरी, नरेश बक्शी, शालू शर्मा, आर. सी. कौशिक, अरुण के. सिन्हा, के. एल. मेहता (मैसर्स के. एल. मेहता एवं कंपनी के लिए) के. जे. जॉन, यश पाल ढींगरा, पी. के. गोल्डेनी, ए. पी. मोहंती, जगजीत सिंह छाबड़ा, तरुण गुप्ता, निधि गुप्ता, एस. जनानी, धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, उपस्थित पक्षों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा सुनाया गया

एस. बी. सिन्हा, जे.

1. विशेष अनुमति याचिका की अनुमति दी गई।

2. अपीलकर्ताओं ने चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसमें शनिवार और रविवार को काम करने के लिए पारिश्रमिक के मामले में समानता का दावा किया गया। इस न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में नगरपालिका कर्मचारी संघ (पंजीकृत) सरहिंद और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य, (2000) 9 एस.सी.सी. 432, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया था कि नगरपालिका उप-नियमों में इसके विपरीत प्रावधान के अभाव में चुंगी कर्मचारियों को गैर-

कार्यशील शनिवार के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार, जब ऐसे शनिवारों पर काम करने की आवश्यकता होती है, उन्हें इसके बदले में अतिरिक्त वेतन दिया जा सकता है। हालांकि, इस न्यायालय ने आगे कहा कि इस तरह के दावे के लिए तथ्यात्मक आधार स्थापित किया जाना आवश्यक है। यह भी माना गया कि यदि कर्मचारियों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33 सी (2) के तहत आवेदन दायर जिन पर विचार किया गया।

3. कुछ मामलों में उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने बिना किसी सूचना के भी, कर्मचारियों द्वारा दायर रिट आवेदनों को यह कहते हुए अनुमति दी गई कि पंजाब राज्य अन्य विभागों के कर्मचारियों को उक्त लाभ से वंचित नहीं कर सकता है। उत्तरदाता- पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड ने उक्त निर्णय की समीक्षा के लिए आवेदन दायर किया और आक्षेपित निर्णय के कारण, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने माना कि नगरपालिका कर्मचारी संघ (सुप्रा) में इस न्यायालय का निर्णय लागू नहीं होता है। इस प्रकार, अपीलाकर्ता हमारे सामने हैं।

4. हमारे विचार के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या नगरपालिका कर्मचारी संघ (सुप्रा) में इस न्यायालय का निर्णय इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू होता है। पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड का गठन विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 (संक्षेप में, 1948 अधिनियम) की धारा 5 और 12 के संदर्भ में किया गया था। 1948

अधिनियम की धारा 79 (सी) के तहत बोर्ड को उसमें निहित वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन के अधीन अपने स्वयं के नियम बनाने का हकदार है। बोर्ड को विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए के लिए अलग-अलग नियम बनाने की अनुमति है। यह पंजाब राज्य का एक विभाग है।

5. यह कहा गया है कि यहाँ अपीलकर्ता तकनीकी श्रेणी; सेवा श्रेणी III से संबंधित हैं, जिन्हें क्षेत्र कर्तव्यों का पालन करने की आवश्यकता होती है। बिजली की आपूर्ति बोर्ड का एक सार्वजनिक उपयोगिता कार्य है। इसलिए बोर्ड को अपने पास निपटान के लिए दिन में 24 घंटे, सप्ताह में सातों दिन तकनीकी कर्मचारी रखने की आवश्यकता है।

6. हमारे समक्ष यह तर्क दिया गया है कि वास्तव में बोर्ड द्वारा इस संबंध में कई नियम बनाए गए हैं। यूनियन और बोर्ड दोनों के बीच कई समझौते भी हुए हैं। कुछ कर्मचारी 1948 अधिनियम के प्रावधानों द्वारा भी शासित होते हैं।

7. हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर भी आकर्षित किया गया है कि छुट्टियों के आनंद के संबंध में श्रमिकों की तीन श्रेणियां सेवा के विभिन्न नियमों और शर्तों द्वारा शासित होती हैं, अर्थात,

क) तकनीकी कर्मचारी (नियमित) कारखाना अधिनियम 1948 के

अंतर्गत आने वाला कार्य भार।

ख) नियमित तकनीकी क्षेत्र कर्मचारी कारखाना अधिनियम के अंतर्गत

नहीं आते हैं।

(ग) कार्य प्रभारित कर्मचारी कारखाना अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं।

8. यह भी कहा गया है कि अलग-अलग डयूटी पर काम करने वाले विभिन्न श्रेणियों के तकनीकी/फील्ड कर्मचारियों को स्थानीय बाहरी शुल्क भत्ता (एल.आे.डी.ए.) दिया जायेगा। संचालन और आर. ई. में काम करने वाले प्रभागों, निर्माण संगठनों को भुगतान किया जाता है। भत्ते की मात्रा समय-समय पर संशोधित की जाती है। हमारा ध्यान आगे एक परिपत्र दिनांक 5.4.1972 की ओर आकर्षित हुआ, जिसके अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि तकनीकी क्षेत्र में विभिन्न कर्तव्यों पर काम करने वाले कर्मचारी एक कैलेंडर वर्ष में उसमें निर्धारित छुट्टियों के हकदार होंगे, अर्थात्,

(i) वैकल्पिक महीनों में शनिवार-पाँच से अधिक नहीं।

(ii) अन्य कर्मचारियों के लिए बोर्ड द्वारा अधिसूचित राजपत्रित छुट्टियों की आधी संख्या

9. हालांकि हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि पंजाब राज्य बिजली बोर्ड ने दिनांक 27.10.1986 को एक परिपत्र जारी किया था जो इस प्रकार निम्नलिखित शर्तों में हैः

"इस कार्यालय आदेश संख्या 432/पीएसईबी दिनांक 24.05.1982 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में, यह सूचित किया जाता है कि पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड के सभी अधिकारी सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेंगे। दोपहर 1:30 बजे से दोपहर 2 बजे भोजन के अवकाश तक कार्य करेंगे। यानी पंजाब सरकार के कार्यालय समय के अनुरूप। बिजली बोर्ड के सभी कार्यालय शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे।

पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड के कार्यालयों में वही छुट्टियां मनाई जायेगी जो पंजाब सरकार के कार्यालय में मनाई जाती है।"

10. दिनांक 27.10.1986 के उक्त परिपत्र के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि यह केवल विद्युत बोर्ड के कार्यालय में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के संबंध में लागू होगा, न कि क्षेत्र कर्मचारियों के संबंध में। परिपत्र दिनांक 5.4.1972 को परिपत्र दिनांक 27.10.86 द्वारा निरस्त नहीं किया गया है।

11. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बोर्ड के तकनीकी कर्मचारी 1948 अधिनियम की धारा 79 (सी) के तहत बनाए गए नियमों द्वारा शासित होते हैं, यहां अपीलकर्ताओं के पास कोई मौजूदा कानूनी

अधिकार नहीं है ताकि वे धारा 33 सी (2) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत आवेदन दायर करने में सक्षम हो सकें।

12. हमने यहाँ ऊपर देखा है कि नगरपालिका कर्मचारी संघ (सुप्रा) के मामले में भी, इस न्यायालय ने राय दी कि चुंगी कर्मचारी गैर-कामकाजी शनिवार के उक्त लाभ के हकदार हो सकते हैं और जब ऐसे शनिवारों पर काम करने की आवश्यकता होती है, तो वे अतिरिक्त वेतन के हकदार हैं। यदि इसके बदले में वे किसी भी नियम द्वारा शासित नहीं हैं। यदि अपीलकर्ता वैधानिक नियमों द्वारा शासित होते हैं, तो वे 1947 के अधिनियम की धारा 33 सी (2) के तहत आवेदन दायर करने के हकदार नहीं होंगे।

13. उपरोक्त कारणों से, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय और आदेश सही है।

किसी भी कानूनी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं हैं, इस कारण से ये अपीलें खारिज की जाती हैं। कोई खर्चा नहीं।

सिविल अपील संख्या 7982, 1929, 2355, 2352, 1840, 1928, 1926, 1918, 1924, 1925, 1836, 4428, 4435, 4436, 4437, 6595, 4439, 4440, 4443, 6102 और 6594 का 003 और 2238/2008, 2242/2008.

विशेष अनुमति याचिका की अनुमति दी गई।

अपीलाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने यह कहा है कि उपर्युक्त अपीलों को इस न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1476/2003 और अन्य संबंधित अपीलों में पारित आदेश दिनांक 14.02.2008 के अंतर्गत किया गया है। इन अपीलों का तदनुसार निस्तारण किया जाता है।

एस.के.एस.

अपीलों का निस्तारण किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्रवण कुमार मीना, आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।